<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>
<u>12.10.2026</u>

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), दिल्ली आंचलिक कार्यालय-II ने कुसुम व उसके सहयोगियों के विरुद्ध चल रही धन-शोधन जांच के संबंध में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 की धारा 5(1) के प्रावधानों के तहत ₹34,07,200/- मूल्य की दो अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। उक्त संपत्तियों में रोहिणी, दिल्ली में कुसुम के स्वामित्व वाला एक आवासीय फ़्लैट एवं अलीगढ़, उत्तर प्रदेश में उसके भाई हरिओम राघव के स्वामित्व वाली कृषि योग्य भूमि शामिल है।

ईडी की जांच दिल्ली पुलिस द्वारा स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम (एनडीपीएसए), 1985 के तहत कुसुम व उसके साथियों के विरुद्ध दर्ज एफआईआर के आधार पर शुरू की गई थी। इनमें सुल्तानपुरी पुलिस थाना, दिल्ली में दर्ज एफआईआर भी शामिल हैं। ये पुलिस-मामले हेरोइन समेत स्वापक औषधियों, जिन्हें आमतौर पर स्मैक के नाम से जाना जाता है, के कथित कब्जे, आपूर्ति और बिक्री से संबंधित हैं।

ईडी की जांच से पता चला है कि कथित स्वापक औषधियों के व्यापार से अर्जित नकदी को परिवार के सदस्यों और बैंक खातों के माध्यम से भेजा गया, जिसमें एक प्रोप्राइटरशिप कंपनी के खाते भी शामिल थे। वास्तविक व्यावसायिक लेन-देन के बिना, तीसरे पक्षों से बैंक ट्रांसफर के लिए नकदी का भी आदान-प्रदान किया गया था। तदुपरांत इन निधियों का इस्तेमाल कुसुम व उसके परिजनों के नाम पर अचल संपत्तियां खरीदने में किया गया, जिससे उनका स्रोत छिपाया जा सके और उन्हें वैध संपत्ति के तौर पर दिखाया जा सके।

तदनुसार आगे की गई जांच में कुसुम के स्वामित्व वाले फ्लैट संख्या 148, भूतल, डीडीए जनता फ्लैट्स, टाइप-बी, पॉकेट-3, सेक्टर-2, रोहिणी, दिल्ली; मूल्य ₹9,07,200 तथा कुसुम के भाई हरिओम राघव के स्वामित्व वाली ₹25,00,000 मूल्य की गोधा, परगना मोर्थल, तहसील कोइल, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश में स्थित 0.2535 हेक्टेयर कृषि भूमि की पहचान की गई। ईडी ने इन संपत्तियों को स्वापक औषधियों के अवैध व्यापार से अर्जित आय से अर्जित मानकर इन्हें अनंतिम रूप से कुर्क कर लिया है।

पूर्व में, ईडी ने 28.03.2026 के पीएओ संख्या 09/2026 के माध्यम से ₹2,26,96,928 मूल्य की 12 अचल संपत्तियों को कुर्क किया था। ईडी ने 30.03.2026 को विशेष न्यायालय (पीएमएलए), रोहिणी, दिल्ली के समक्ष कुसुम के विरुद्ध अभियोजन शिकायत भी दायर की। वर्तमान कुर्की के साथ, इस मामले में कुर्क की गई संपत्तियों का कुल मूल्य ₹2.61 करोड़ हो गया है।

आगे की जांच जारी है।